न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर ।

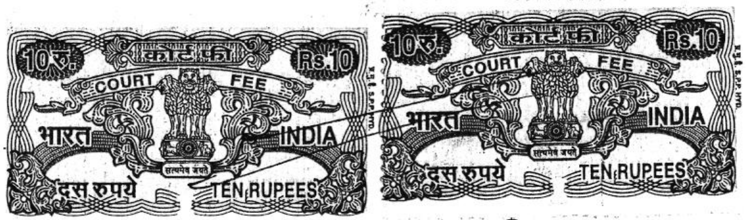

Rs. 20/-

R - 3910 - III / 14

735
30.X.14

1- सुनीता पत्नी मिथिला प्रसाद गुप्ता

2- बैजनाथ तनय श्री झरियारी कहार

----- दोनों निवासी कोतर कला तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0 ---------- निगरानी कर्ता ।

क्रमांक ___ पोस्ट द्वारा आज दिनांक ___ को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

राजेश कुमार गुप्ता तनय बैजनाथ गुप्ता निवासी कोतर कला तहसील गोपद-बनास जिला सीधी म0प्र0 --------- गैर निगरानी कर्ता ।

श्री ___ एड के द्वारा आज दिनांक 30.X.14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा जरिए पुनरीक्षण क्र0 129/पुनरीक्षण/13-14 आदेश दिनांक 14-10-14 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 ई0।

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

क्रमांक 3636 आज दिनांक 13.11.14 प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ...

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

2- यहकि मातहत आयुक्त महोदय के न्यायालय में कलेक्टर सीधी के प्रकरण क्र0 45अपील/2001-02 , 46अपील/01-02 में पारित आदेश दिनांक 6-12-10 के विरुद्ध दायर की गयी थी तथा निगरानी दिनांक 8-6-10 के विरुद्ध दायर की गयी थी, जिसके आधार पर मातहत न्यायालय के समक्ष प्रकरण समस्त परिस्थितियों एवं अभिलेखों का निरीक्षण करने के पश्चात दिनांक 25-6-14 को अपील व निगरानी में अलग-अलग आदेश पारित कर कलेक्टर सीधी के न्यायालय में पारित आदेश को स्थिर रखा गया था और अन्तिम तौर पर निराकृत कर दिया गया था ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

1

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. -3910–तीन–.2014 **जिला सीधी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश सुनीता / राजेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9 –02–2016	यह निगनारी अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 129 / पुनरीक्षण / 13–14 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2014 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री भोला प्रसाद पटेल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 21.08.2015 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर इस प्रचलित निगरानी प्रकरण को वापस लेने एवं इसी स्तर पर निरस्त करने का निवेदन किया गया। आवेदक अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार किया गया एवं समक्ष में किए गये निवेदन पर पर विचार किया गया। विचारोपरांत आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2015 स्वीकार किया जाता है। परिणामस्वरूप निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा.रि.हो। **(आशीष श्रीवास्तव)** **सदस्य**	
M		